कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्र./ 01 /न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2016–17/बीरगांव,दिनांक 26/02/2016

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

निकाय क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सत्र 2016–17 में ट्रैक्टर टैंकर के माध्यम से जल परिवहन कार्य (अनुमानित लागत – रू. 19.98 लाख) हेतु पात्र फर्मों/ठेकेदारों से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दो लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 14.03.16 दोपहर 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 16.03.16 सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 28.03.16 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 28.03.16 सायं 4.00 बजे। निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त

पृ.क्र./ 02 /न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2016–17/बीरगांव,दिनांक 26/02/2016

प्रतिलिपि –

01. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
02. महाप्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर एक बहुप्रसारित राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में एक दिवस न्यूनतम स्पेस में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित।
03. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर/कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
04. डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रं./ 01 /न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2016–17/बीरगांव,दिनांक 26/02/2016

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

निकाय क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सत्र 2016–17 में ट्रेक्टर टेंकर के माध्यम से जल परिवहन कार्य (अनुमानित लागत – रू. 19.98 लाख) हेतु पात्र फर्मों/ठेकेदारों से पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट से दो लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित हैं। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 14.03.16 दोपहर 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 16.03.16 सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 28.03.16 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 28.03.16 सायं 4.00 बजे। निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित।)

आयुक्त

पृ. क्रं./ 02 /न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2016–17/बीरगांव,दिनांक 26/02/2016

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
02. महाप्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर एक बहुप्रसारित राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
03. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर/कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
04. डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

ट्रेक्टर व टेंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कार्य (सत्र 2016–17)

01. (1) निकाय क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सत्र 2016–17 में ट्रेक्टर टेंकर के माध्यम से परिवहन कार्य (अनुमानित लागत रू. – 19.98 लाख) हेतु पात्र फर्मों/ठेकेदारों से पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट से दो लिफाफा पद्धति में निविदा प्रपत्र–"बी" में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित हैं।
    (2) निविदा प्रपत्र मूल्य – रू. 750.00
    (3) अमानत राशि रू. 15000/– मात्र एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार की जावेगी।
    (4) निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता :–

    समूह कं. 1

    (1) ट्रेक्टर व टेंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने हेतु इच्छुक फर्मो को कम से कम 05 ट्रेक्टर व 05 टेंकर (क्षमता 4500 लीटर प्रति टेंकर) का स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किरायानामा तथा वाहनों का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र व जीवित बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करना होगा।
    (2) आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र/पैन कार्ड
    (3) यदि फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र
    (4) राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी/बैंक गारंटी – रू. 5.00 लाख से 25.00 लाख तक के कार्य के लिए – रू. 3.00 लाख की राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी।
    (5) नगरीय निकायों में जल परिवहन करने का न्यूनतम रू. 10.00 लाख तक कार्यानुभव। **इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।**

05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका कं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि :– अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के **डिमाण्ड ड्रॉफट/एफ.डी.आर.** के रूप में स्वीकार की जावेगी।
07. सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
09. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. दरें समस्त कर सहित/कुल लागत सहित प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
11. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क

जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।

12. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "ए", "बी" व "सी" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी./एफ.डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका कं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
14. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
15. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
16. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यादेश जारी किए जावेंगे।
17. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
19. जो ट्रेक्टर व टेंकर निकाय से अनुबंधित होंगे उन वाहनों का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र व जीवित बीमा पॉलिसी व वाहन चालकों का जीवित बीमा पॉलिसी की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
20. जो ट्रेक्टर व टेंकर निकाय से अनुबंधित होंगे वे अनुबंध अवधि में अन्य कोई भी कार्य नहीं करेंगे।
21. ट्रेक्टर व टेंकर निकाय के जल प्रभारी अभियंता के निर्देशन में पेयजल आपूर्ति कार्य में संलग्न रहेंगे। यदि किसी कारणवश पेयजल आपूर्ति नहीं किया जाता है तो निकाय में पदस्थ आयुक्त अथवा संबंधित जल प्रभारी अभियंता के निर्देशन में अन्य कार्य किया जावेगा।
22. प्रतिदिन कार्यावधि औसतन प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगी।
23. कार्यावधि के दौरान प्रति ट्रिप की दर से भुगतान की जावेगी।
24. ठेकेदार को निकाय द्वारा विभिन्न फॉयर फॉयटिंग प्वाइंटों से जल उपलब्ध कराया जावेगा।
25. ठेकेदार को निकाय द्वारा निर्देशित स्थलों पर जलापूर्ति करना होगा।
26. ट्रेक्टर व टेंकर खराब होने अथवा चालक/सुपरवाईजर के बीमार होने पर ठेकेदार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
27. निर्धारित प्वाईटों में पेयजल आपूर्ति का विवरण संबंधित ठेकेदार के चालक/सुपरवाईजर को प्रतिदिन निकाय के पेयजल वितरण पंजी में दर्ज करना होगा। निर्धारित प्वाइंटों पर पेयजल आपूर्ति नहीं करने अथवा कम आपूर्ति करने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा प्रस्तुत देयक से निर्धारित पेनाल्टी काटी जावेगी।

28. पेयजल आपूर्ति अतिआवश्यक सेवा है अतः पर्याप्त कारण के होते हुए भी बिना सूचना के पेयजल परिवहन बाधित नहीं किया जावेगा। यदि बिना सूचना के पेयजल परिवहन बाधित की जाती है तो कम से कम रू. 1000/– एवं अधिकतम रू. 10000/– प्रतिदिन की दर से दण्डित किया जावेगा।

29. ट्रेक्टर हेतु डीजल,ऑयल एवं मेंटेनेंस की व्यवस्था, वाहन चालक एवं कम से कम दो सुपरवाईजरों की व्यवस्था, एवं ट्रेक्टर व टेंकरों तथा चालकों एवं सुपरवाईजरों की पूर्ण बीमा में होने वाला व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। दुर्भाग्यवश यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

30. यदि किसी कारणवश किसी प्वाइंट में जलापूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना उसी दिवस संध्या तक निकाय को आवश्यक रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

31. भुगतान देयकों में नियमानुसार कटौती की जावेगी।

32. जलापूर्ति की कार्यावधि मार्च 2017 तक होगी। आवश्यकतानुसार कार्यावधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

33. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय सर्व मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)